



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची
वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)
E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386

पत्रांक:-..... दिनांक:-.....

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

विषय:- मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 केवी0 डी0/सी0 पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल- 169.0098 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल-103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल- 7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल-57.3603 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य प्रबन्धक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राँची का पत्रांक- 4128 दिनांक- 28.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक- वनभूमि 5/2020/1488 व0प0 राँची दिनांक-10.06.2020 द्वारा विषयक प्रस्ताव में की गई पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
i	प्रस्ताव के पार्ट-I में Online कुल रकबा, तथा Village wise रकबा का सुधार करते हुए पार्ट-I की Hard copy.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्ट- I में Online कुल रकबा तथा Village wise रकबा का सुधार करते हुए पार्ट-I की Hard copy संलग्न किया गया है। (अनु0-1)
ii	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित रकबा, Land schedule का रकबा तथा अनुशंसित रकबा को मिलान कर यदि आवश्यक हो, तो सुधार करते हुए प्रतिवेदन।	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित रकबा Land schedule का रकबा तथा अनुशंसित रकबा को ऑनलाईन पार्ट- II में सुधार कर संशोधित Land schedule की प्रति संलग्न है। (अनु0-2)
iii	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के संबंध में खेलारी अंचल तथा रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-दाड़ीडीह का Authenticated land schedule.	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के संबंध में खेलारी अंचल का Authenticated land schedule संलग्न है। (अनु0-3)
iv	रामगढ़ जिलान्तर्गत मौजा-कोतों के पूर्ण रकबा तथा मौजा-रोचाप एवं दाड़ीडीह में प्रस्तावित जंगल-झाड़ भूमि का उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	इस प्रमंडल से संबंधित नहीं है।

v	विभागीय आदेश संख्या-4715 दिनांक-27.11.2018 तथा उपायुक्त लातेहार द्वारा दिनांक-25.05.2019 तथा दिनांक-16.10.2019 का निर्गत प्रमाण पत्रों के आलोक में लातेहार जिला अंतर्गत अवस्थित जंगल-झाड़ भूमि प्रस्ताव का पार्ट होगा अथवा नहीं। यदि यह प्रस्ताव का पार्ट होगा तो पूर्ण जंगल-झाड़ भूमि का उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र और यदि यह प्रस्ताव का पार्ट नहीं होगा तो प्रस्तावित वनभूमि के रकबा में संशोधन अपेक्षित होगा।	(1) लातेहार जिला अंतर्गत ग्राम- निन्द्रा एवं बेलगड़ा में अपयोजित होने वाले कुल जंगल-झाड़ी रकबा 8.156 हे० के विरुद्ध मात्र 2.744 हे० के लिए ही उपायुक्त लातेहार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। (2) निदेशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मात्र 2.744 हे० को जंगल-झाड़ी के रूप में संशोधनोपरांत प्रस्तावित किया गया है। (3) शेष 5.412 हे० जंगल-झाड़ी को संशोधनोपरांत प्रस्ताव में रैयती भूमि परती कदीम के रूप में सम्मिलित किया गया है। (4) इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि भविष्य में यदि 5.412 हे० भूमि जंगल-झाड़ी आदि के रूप में पाई जाती है तो उसके लिए एफ०सी० एक्ट के तहत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव अलग से समर्पित किया जाएगा। (अनु०-4)
vi	प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-होयर के प्लॉट संख्या-479 चिह्नित अवकृष्ट वनभूमि हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण पत्र।	संलग्न। (अनु०-5)
vii	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक (CWLW) का मंतव्य।	इस प्रमंडल से संबंधित नहीं है।
viii	गणना सूची के अनुरूप पार्ट-II में अंकित वृक्षों की संख्या में सुधार।	गणना सूची के अनुरूप पार्ट-II में अंकित वृक्षों की संख्या में सुधार किया गया है। (अनु०-6)
ix	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-लोथमाना, ओझासाडम एवं हिरिंग से संबंधित ग्रामसभा की कार्यवाही।	संलग्न। (अनु०-7)
x	प्रस्ताव के साथ संलग्न गणना सूची से नोडल पदाधिकारी के पत्र तथा पार्ट-II में उल्लिखित वृक्षों की संख्या को मिलान कर वृक्षों की संख्या में सुधार।	इस प्रमंडल से संबंधित नहीं है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी

ह०/-

वन प्रमंडल पदाधिकारी
राँची वन प्रमंडल, राँची।

ज्ञापक :- 598

दिनांक :- 17.02.2021

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
राँची वन प्रमंडल, राँची।